

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1424/2008/जयपुर

मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०,
ज्योति नगर, जयपुर।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

1. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय
वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
2. सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक : ०१.०९.२०१६

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 144/अपील्स-II/आरएसटी/जयपुर/वि.वृ.राज./05-06 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 31.12.2004 के जरिये सृजित मांग राशि रुपये 1,57,93,021/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखते हुए प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का वर्ष 2000-01 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.06.2003 को पारित किया गया। उक्त कर निर्धारण आदेश की पुनः जांच पर घोषणा पत्र एसटी 17 के समर्थन में की गयी बिक्री के कुछ घोषणा पत्र एसटी 17 अवधिपार/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 31.12.2004 पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा की गयी बिक्री रुपये 3,47,08,424/- पर अतिरिक्त कर रुपये 45,12,095/-, सरचार्ज रुपये 6,76,814/- तथा ब्याज रुपये 44,36,517/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में की गयी बिक्री रुपये 2,40,93,105/- पर अतिरिक्त कर रुपये 28,91,173/-, सरचार्ज रुपये 4,33,676/- तथा ब्याज रुपये 28,42,746/- आरोपित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के

लगातार

2

समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31.10.2007 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।


3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि घोषणा पत्र एसटी 17 संख्या 14699/15 रुपये 1,98,22,816/- से संबंधित है, यह घोषणा पत्र मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि०, जयपुर द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया गया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा रियायती दर से की गयी बिक्री के संबंध में चाही गयी छूट को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है। इस प्रकार अब केवल विवादित घोषणा पत्र के संबंध में चाही गयी छूट को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने के बिन्दु पर अपील का विनिश्चय किया जाना था, जिसके लिये अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी यह निवेदन किया गया था कि विवादित त्रुटियुक्त घोषणा प्रपत्र एसटी 17 को वापिस दिलाया जावे ताकि उक्त त्रुटि को दूर किया जा सके अथवा नया घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सके। परन्तु अपीलीय अधिकारी ने उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया एवं अनुचित तरीके से निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया गया। उन्होंने निवेदन किया कि मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि०, जयपुर द्वारा जारी उक्त घोषणा पत्र को अब भी उन्हें वापस दिलाया जाए जिससे कि वे इस घोषणा पत्र में रही त्रुटियों (डिफेक्ट्स) को दूर कर सकें। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को न्याय के विपरीत बतलाते हुए उनको अस्वीकार करने का निवेदन किया एवं प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया। अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 21.10.2007 की अनुपालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश की "अपीलार्थी ने एक ही घोषणा पत्र एसटी 17 के आधार पर वर्ष 1999-2000 एवं वर्ष 2000-01 के दौरान की गई बिक्री के कर दायित्व से छूट चाही है। इस घोषणा पत्र के आधार पर कितनी राशि व किस विक्रय के संबंध में पूर्व में वर्ष 1999-00 के दौरान कर से छूट प्राप्त की है इस संबंध में जांच किये जाने के पश्चात जो निष्कर्ष सामने आये उसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात विधिसम्मत कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।"

कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्रतिप्रेषण आदेश में दिये गये उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 16.09.2009 को अनुपालना कर दी है। अतः प्रकरण अपील सारहीन है क्योंकि प्रतिप्रेषण निर्देशों का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुपालना कर दी गई है। अतः प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया।






6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने पुनः निवेदन किया कि उक्त मामला घोषणा पत्र के दुरुस्तीकरण का है जो कि किसी भी स्तर पर दुरुस्त करवाया जा सकता है जिसकी वजह से बकाया मांग वसूल कम की जा सके एवं इसके समर्थन में 65 STC 264, 44 STC 479, 47 STC 257, 47 STC 251, 20 STC 388 में पारित निर्णयों का हवाला दिया एवं कथन किया कि एसटी घोषणा पत्र में किसी प्रकार का दोष होने पर उसको दुरुस्त करवाये जाने का कानूनी आचौत्य है।

7. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं प्रस्तुत उद्धरणों एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। सर्वप्रथम इस बिन्दु पर की क्या विवादित घोषणा पत्र एसटी 17 में किसी प्रकार की लिपीकीय भूल अथवा दोष ऐसा रहा है जिसको दुरुस्त किया जा सके इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। रिकार्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश के क्रम में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकरण बाबत निम्न टिप्पणी प्रस्तुत की गई थी।

“व्यवहारी द्वारा इन घोषणा प्रपत्रों में से मैसर्स नेशनल इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज के घोषणा प्रपत्रों के बाबत ही इस आवेदन पत्र में निवेदन किया गया है। तथ्य यह है कि व्यवहारी द्वारा मैसर्स नेशनल इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र संख्या 14699/15 वर्ष 2000-01 के दौरान क्रय रूपये 1,98,22,816/- का पेश किया गया। फार्म जारी करने वाले क्रेता व्यवहारी मैसर्स नेशनल इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज की पत्रावली का अवलोकन करने पर क्रेता द्वारा उक्त फार्म संख्या 14699/15 वर्ष 99-2000 की खरीद के पेटे रूपये 2,89,37,833.75 का जारी करना पाया गया। अतः इसका समायोजन अस्वीकार कर मांग कायम की गई। पुनः इस मांग में संशोधन चाहे जाने पर क्रेता व्यवहारी से उक्त घोषणा प्रपत्र जारी करने का विवरण चाहा गया, जिसके जवाब में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 05.12.2005 में यह कथित किया कि उक्त घोषणा प्रपत्र एसटी 17 क्रमांक 14699/15 वर्ष 99-2000 में की गई खरीद के विरुद्ध रूपये 2,89,37,833.75 का जारी किया गया। अतः उक्त संशोधन में भी उक्त फार्म का समायोजन नहीं किया गया। तथ्य यह है कि अपीलांत द्वारा क्रेता व्यवहारी द्वारा वर्ष 99-2000 हेतु दिए गए फार्म एसटी 17 में हेर-फेर करके उसके साथ वर्ष 2000-01 के बिलों की सूची संलग्न कर अनुचित छूट प्राप्त करने का प्रयास किया गया।”

8. उपरोक्त टिप्पणी के अवलोकन के आधार पर उक्त विवादित घोषणा पत्र में डिफेक्ट बताना सही नहीं है कोई त्रुटि अथवा कोई दोष हो तो उसको दूर किया जा सकता है लेकिन इस प्रकरण के तथ्य सर्वथा भिन्न है। एक ही सीरियल नम्बर के एक ही घोषणा पत्र एसटी 17 के आधार पर दो


लगातार.....4


भिन्न-भिन्न वर्षों के विक्रय हेतु छूट प्राप्त नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा एक ही सीरियल के घोषणा पत्र एसटी 17 के आधार पर पहले वर्ष 99-2000 के दौरान किये गये विक्रय पर कर से छूट चाहने हेतु प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात इसी घोषणा पत्र एसटी 17 में काट छांटकर करके वर्ष 2000-01 के दौरान किये गये विक्रय पर कर से छूट चाहने हेतु प्रस्तुत घोषणा पत्र को डिफेक्टिव घोषणा पत्र नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी के निम्न निष्कर्ष भी यहां अंकित करना प्रासंगिक है “कर निर्धारण अधिकारी का यह कथन है कि अपीलार्थी ने फार्म संख्या 14699/15 के आधार पर वर्ष 99-2000 के दौरान कर से छूट प्राप्त कर ली है ऐसी स्थिति में एक ही फार्म को दो बार काम में नहीं लिया जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी ने फार्म संख्या 14699/15 के आधार पर वर्ष 99-2000 के दौरान कर से छूट प्राप्त है ऐसी स्थिति में उसी फार्म के आधार पर वर्ष 2000-01 के दौरान छूट प्राप्त करने का अपीलार्थी अधिकारी नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में पेज संख्या 7 पर जो घोषणा पत्र एसटी 17 की फोटो प्रति उपलब्ध है का सिरियल नम्बर 14699/15 अंकित है तथा इसकी राशि 19822816/- अंकित है जबकि कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार इस घोषणा पत्र एसटी 17 संख्या 14699/15 है तथा इस मैसर्स नेशनल इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. जयपुर द्वारा वर्ष 99-2000 के दौरान की गयी खरीद के पेटे रूपये 28937833.75 के लिए जारी किया गया है।

9. कर निर्धारण अधिकारी ने भी अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण निर्देशों के तहत गुणावगुण पर यही निष्कर्ष निकाला है। अतः इस तथ्य से कोई अन्तर नहीं पडता है कि गुणावगुण पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत उद्धरण जिनमें प्रायः यही तथ्य हैं कि यदि घोषणा पत्र में कोई त्रुटि रह गई है तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है क्योंकि यहां पर त्रुटिपूर्ण घोषणा पत्र की बजाय सोदेश्य तथा दुराश्य से घोषणा पत्रमें काट छांट कर करवंचनार्थ उपयोग में लिया गया है। अतः विद्वान अभिभाषक द्वारा विवादित घोषणा पत्र को अपीलार्थी को लौटा कर दूसरा घोषणा पत्र कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करने का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय निर्देशों की पालना कर दी गई है अतः प्रकरण चलने योग्य भी नहीं है अतः दोनों ही अभियोग विषयों पर (Counts) पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


01.08.2016
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष